राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–178/2007

जगदीश प्रसाद महावर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पी.जी. कॉलेज, टोंक।
4. प्रहलाद कोली, ओ.एस. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ।
5. नवल किशोर मीणा, ओ.एस., राजकीय महाविद्याल, झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एच.आर. कुमावत, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अंतरित वरिष्ठता सूची दिनांक 07.02.2003 (अनुलग्नक–12) एवं अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 25.02.2003 (अनुलग्नक–13) एवं अंतिम वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 27.04.2004 (अनुलग्नक–14) व अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 17.08.2005 (अनुलग्नक–15) को इस अपील में चुनौती दी है।
2. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति प्रहलाद कोली व नवल किशोर मीणा को अपीलार्थी से वरिष्ठता सूची में ऊपर रखा गया है, जो गलत है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि दिनांक 21.12.2001 की सूची में अपीलार्थी का नाम कार्मिक प्रहलाद कोली एवं नवल किशोर मीणा दोनों के ऊपर ही रहा था। दोनों की नियुक्ति तिथि अपीलार्थी के बाद ही थी। प्रश्नगत आलोचित वरिष्ठता सूची में दोनों कार्मिकों को अपीलार्थी के ऊपर का स्थान दिया गया है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कार्यालय सहायकों की वरिष्ठता सूची कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.04.1997 में वर्णित सिद्वान्तों के अनुसार जारी की गयी थी, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–234/2002 में दिये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 11.11.2002 की अनुपालना में कार्मिक विभाग ने नियमों में संशोधन करते राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम–1971 में संशोधन करते हुए, परिपत्र दिनांक 28.12.2002 जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया

गया कि माननीय उच्चतम के अन्तरिम आदेश 11.11.2002 की अनुपालना में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.04.1997 के द्वारा सभी सेवा नियमों में किए गये सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा वरिष्ठता पुनः अर्जित करने सम्बन्धी प्रावधानों को इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.12.2002 के द्वारा विलोपित कर दिया गया। साथ ही जिन कार्मिकों को केच–अप–रूल्स (रिगेनिंग) के आधार पर पूर्व में पदोन्नति के साथ वरिष्ठता का लाभ प्राप्त हो चुका है, उनकी यथास्थिति रखे जाने हेतु भी नियमों में प्रावधान कर दिया गया। इस प्रकार समस्त विभाग वर्तमान में पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त स्थानों को इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.04.1997 से लागू रिंगेनिंग सिद्वान्त जिसे अब विलोपित किया जा चुका है, से पूर्व की वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति से भर सकेगें। इस प्रकार निदेशालय की विज्ञप्ति दिनांक 21.12.2001 के द्वारा जारी की गयी अन्तिम वरिष्ठता सूची के अतिक्रमण में अब दिनांक 01.04–1997 से पूर्व में प्रचलित नियमों के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 07.02.2003 जारी की गयी तथा वरिष्ठता सूची में यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित अभ्यावेदन इस सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत करने को कहा गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमानुसार परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि पूर्व में कार्यालय सहायकों की वरिष्ठता सूची कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 01.04.1997 के आधार पर जारी की गयी थी, परन्तु अब यह प्रावधान कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2002 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इसलिये कुछ मामलों में स्थिति में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जैसा कि अपीलार्थी के मामले में वरिष्ठता सूची में परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन आने के कारण हुआ है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नियमों में परिवर्तन होने से निरस्त कर दिया गया तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 27.04.2004 नियमानुसार जारी की गयी। आक्षेपित वरिष्ठता सूचियां कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2002 की पालना में जारी की गयी है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए अभिकथनों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन रहा है कि निजी प्रत्यर्थी पूर्व में अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, जिन्हें आलोचित वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से ऊपर रखा गया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि आक्षेपित वरिष्ठता सूचियां कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2002 की पालना में जारी की गयी थी। जिस कारण वरिष्ठता सूची में परिवर्तन हुआ है।

5. हमारे द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2002 का अवलोकन किया गया। उपरोक्त परिपत्र से प्रकट होता है कि परिपत्र सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा वरिष्ठता सूची पुनः आयोजित करने के संबंध में है। यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थीगण, जो एस.सी. एवं एस.टी. की श्रेणी के कर्मचारी है, उन पर इस प्रकार से उक्त परिपत्र दिनांक 28.12.2002 का प्रभाव पड़ता है। उक्त परिपत्र से अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थीगण की आपस में वरिष्ठता पर किस प्रकार से प्रभावित होगी, यह प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थीगण के Interse वरिष्ठता के संबंध में जांच करें एवं वरिष्ठता के संबंध में आख्यात्मक आदेश पारित करें। यदि जांच में प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ होना पाते हैं तो अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में उचित स्थान दिया जाये एवं पारिणामिक लाभ भी अपीलार्थी को प्रदान किये जावें।
6. इस आदेश की पालना 3 माह में की जानी सुनिश्चित की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)